स्त्री-पुरुष एक समान, यही कहता है हमारा भारतीय संविधान!

नमस्कार बहनों और भाइयों,

महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया है, उसकी याद दिलाने और समानता के लिए अपने संकल्प को मजबूत करने के दिन के रूप में 8 मार्च को विश्वभर में महिला दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में जिन महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष किया, उसी संघर्ष की प्रेरणा भारत के महिला-स्वतंत्रता आंदोलन में भी दिखाई देती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने केवल देश की राजनीतिक आज़ादी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। अनेक क्रांतिकारी महिलाएँ देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद भी हुईं।

स्वाभाविक रूप से, देश के संविधान निर्माण में भी उनका सहभाग रहा और उसमें 15 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं से संबंधित नीतियाँ तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हंसा मेहता को संविधान पर हस्ताक्षर करने का सम्मान प्राप्त हुआ, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान पर मानो स्वर्ण मुहर लग गई।

भारतीय संविधान ने महिलाओं को क्या दिया?

भारत में महिलाओं को सबसे पहले अधिकार प्रदान किए भारतीय संविधान ने।

1. **मतदान का अधिकार** भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सभी वयस्क महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ने का अधिकार भी संविधान के कारण ही मिला। अमेरिका जैसे विकसित देश को भी अपने समाज की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए वर्ष 1965 तक इंतज़ार करना पड़ा।

2. **शिक्षा का अधिकार** संविधान से पहले सिर्फ अमीर घरों की कुछ लड़कियाँ ही पढ़ पाती थीं। संविधान के कारण 'गांव-गांव स्कूल' की नीति के तहत हर गांव में स्कूल खोले गए और गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए शिक्षा का रास्ता खुल गया।
3. **बाल विवाह समाप्त किया** संविधान लागू होने से पहले लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। बुजुर्गों से शादी करना सामान्य था। संविधान के कारण महिलाओं के विवाह की उम्र 16 और फिर 18 साल कर दी गई। उनको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार पहली बार मिला।
4. **संपत्ति का अधिकार** संविधान के कारण आज महिलाओं को अपने माता-पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला है। संविधान से उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था।
5. **प्रसूति अवकाश (मॅटर्निटी लीव) का अधिकार** आज़ादी से पहले 1942 में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने सभी जातियों और धर्मों की महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का अधिकार दिया था। संविधान के बाद यह अधिकार स्थायी रूप से लागू हो गया।
6. **नौकरी का अधिकार** संविधान ने हज़ारों वर्षों से घर की चारदीवारी के भीतर कैद महिलाओं को घर से

बाहर निकलने और नौकरी करने का अधिकार दिया। आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करके, घर से बाहर जाकर नौकरी कर रही हैं। महिलाएं शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, शोधकर्ता और उद्योगपति बन रही हैं, सरकारी अधिकारी और जज से लेकर सरपंच, विधायक, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चुकी हैं। लेकिन महिला आरक्षण का सपना आज भी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया है।

7. **समान काम के लिए समान वेतन** महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन (सरकारी कर्मचारियों के लिए) संविधान के कारण संभव हुआ।
8. **हिंसा विरोधी कानून** घरेलू हिंसा विरोधी कानून, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने का कानून और बाल यौन शोषण के खिलाफ पोक्सो जैसे कानून – महिलाओं के अधिकारों के लिए ये सभी कानून संविधान के कारण ही बने।
9. **तलाक और विधवा पुनर्विवाह का अधिकार** पहले महिलाओं को तलाक लेने और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। संविधान ने ही महिलाओं को ये सभी अधिकार दिए। साथ ही विवाहित महिलाओं को पति से अलग होने पर पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार भी मिला।
10. सती प्रथा, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा जैसी महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बन चुके हैं – यह भी संविधान के कारण संभव हुआ है।

लेकिन संविधान में निहित स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करने का संघर्ष अभी भी जारी है। **समानता, स्वतंत्रता और सम्मान केवल संविधान के शब्द नहीं हैं, बल्कि स्त्री के जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं।** संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं, पर उनका वास्तविक अनुभव तभी संभव है, जब हम समाज के रूप में उन अधिकारों को स्वीकार करें, उनका पालन करें और उनकी रक्षा करें। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, स्त्री के निर्णय लेने की स्वतंत्रता का सम्मान करना और समानता के लिए संगठित होना — यही संविधान का सच्चा अर्थ है। आप भी **'संविधान जागर अभियान'** में सहभागी बनें! जय संविधान!

आइए, महिलाओं के सम्मान के लिए संविधान का जागरण करें और महिला सम्मान की शपथ लें

जागतिक महिला दिन के अवसर पर मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ कि, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा/करूंगी और किसी को भी महिलाओं का अपमान नहीं करने दूंगा/दूंगी। महिलाओं का अपमान करने वाली फ़िल्मों, गानों, चुटकुलों और गालियों का विरोध करूंगा/करूंगी। महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाली रूढ़ियों और परंपराओं को छोड़ूंगा/छोड़ूंगी। मैं महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा/करूंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा/उठाऊंगी। मैं हमेशा महिलाओं का आदर करूंगा/करूंगी और किसी को भी उनका अपमान नहीं करने दूंगा/दूंगी। मैं अपने घर, समाज, गाँव/शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित और भयमुक्त बनाने का प्रयास करूंगा/करूंगी।

संविधान जागर अभियान

आयोजन समिति: मा.न्या.बी.जी. कोळसे पाटील, मा.न्या.ए.एम. ठिपसे, मा.न्या. टी.व्ही. नलावडे, तुषार गांधी, डॉ. राम पुनियानी, डॉ. नितीन राऊत, धनाजी गुरव, नीरज जैन

स्वप्निल फुसे: 7972345764 डॉ. श्याम मडे: 9404708852 श्रद्धा रे. रा.: 9270478335 राजाभाऊ करवाडे: 98222 02739

samvidhan.jagar **samvidhanjagar.org**